न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा राज0

बईजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस0)

मु.नं. 57/19 2019/00628

श्रीमती सुलोचना जैन पत्नी रतन जैन उम्र 65 वर्ष जाति जैन निवासी मकान नबंर 460 दादाबाडी विस्तार योजना कोटा।

–वादनी–

बनाम

1. इस्तादअली पुत्र मुबारक अली जाति मुस्लमान निवासी महात्मा गांधी कोलोनी, गली नबंर 11 चन्द्रसेल रोड, माला फाटक, कोटा राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादी–

वाद अन्तर्गत धारा 53.54, आर.टी.एक्ट

उपस्थित –

वादी की ओर से एडवोकेट श्री महेश कुमार तिवारी

प्रतिवादी नबंर 01 की ओर से एडवोकेट श्री मनोज कुमार शर्मा

प्रतिवादी नबंर 02 राजस्थान सरकार की ओर से– तहसीलदार कनवास।

निर्णय

दिनांक– 10.02.2021

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी द्वारा जर्ये वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कुराड पटवार क्षेत्र कुराड तहसील कनवास जिला कोटा में वादिनी व प्रतिवादी नबंर 01 के संयुक्त खाते की खसरा नबंर 1733 की 0.95 है0, खसरा नबंर 1741 की 0.04 है0, खसरा नबंर 1742 की 1.81 है0, कुल किता 03 की रकबा 2.80 है0, आराजीयात स्थित है जिसके राजस्व अभिलेखों में 2/3 हिस्सा वादिनी व 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नबंर 01 का अंकित है।

यह कि विवादित आराजीयात का हाल सेटलमेंट से पूर्व खसरा नबंर 1037 की 17 बीघा 06 बिस्वा रकबा कायम था, जिसमें से पूर्व खातेदार हसीबअली व रफीक अली से उनका 2/3 हिस्सा दिनांक 22.07.2022 को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से खरीद कर उनके हिस्से की पूर्व तरफ की 2/3 हिस्से की 1.866 हैक्टयर आराजीयात पर कब्जा प्राप्त किया था जिस पर वादिनी काबिज होकर निरन्तर उपयोग व उपभोग करती आ रही है।

यह कि विवादित कृषि भूमियों वादिनी व प्रतिवादी नबंर 01 द्वारा अपने हिस्से के मुताबिक पृथक–पृथक काश्त की जा रही है, लेकिन खाता संयुक्त होने से अपने हिस्से की आराजीयात का विकास करने के लिये बैंक से ऋण लेने में व सहखातेदार प्रतिवादी नबंर 01 के तैयार न ह ोने से अपने हिस्से की आराजीयात का विकास नहीं करवा पाते तथा राज लगान अदा करने में भी समस्या बनी रहती है। वादिनी द्वारा प्रतिवादी से 04 माह पूर्व खाता पृथक करवाने के लिये कहने व उसके द्वारा उसानीता बरतने पर वादिनी के पास वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होने से यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.04.01 15:31:49
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

IP AI QUAD CAMERA

वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वाद पत्र के मद नबंर 01 में वर्णित विवाद ग्रस्त कृषि भूमि ग्राम कुराड तहसील कनवास के खसरा नबंर 1733 रकबा 0.25 है0, खसरा नबंर 1741 की 0.04 है0, में से पूर्वी तरफ का 2/3 हिस्सा यानि 1. 8666 है0, आराजीयात पृथक से वादी के खाते में बनाई जाकर पृथक से राज लगान अंकन कराने की विभाजन की डिक्री पारित की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलवी जारी की गई। प्रतिवादी नबंर 01 की ओर से जर्ये एडवोकेट दिनांक 06.01.2021 को जवाब दावा मय वकालत नामा प्रस्तुत हुआ। साथ ही 06.01.2021 को वादी व प्रतिवादी नबंर 01 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया वादनी व प्रतिवादी नबंर 01 के संयुक्त खाते की विवादित आराजियात पर परस्पर सहमति से हिस्से व कब्जे के मुताबिक राजीनामा कर लिया गया है, राजीनामा अनुसार वादनी के ग्राम कुराड पटवार हल्का कुराड तहसील कनवास के खसरा नबंर 1741 की 0.04 है0, , खसरा नबंर 1742 की 1.81 है0, तथा खसरा नबंर 1733 की 0.95 है0, में से पूर्वी तरफ की 0. 017 है0, आराजियात वादनी के हिस्से रहेगी। इसी प्रकार प्रतिवादी नबंर 01 के खसरा नबंर 1733 की 0.95 है0, में से 0.933 है0, आराजी रहेगी । जिस पर प्रतिवादी काबिज है। साथ ही निवेदन किया कि उक्त राजीनामा अनुसार विवादित आराजियात का वादनी व प्रतिवादी नबंर 01 खाता विभाजन किये जाने की डिक्री जारी करने की कृपा करें। राजीनामा वादनी व प्रतिवादी नबरं 01 को पढकर सुनाया गया। दोनों पक्षकारान के द्वारा राजीनामा सुनकर एवं समझकर सही होना स्वीकार किया। प्रतिवादी नबंर 02 सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास द्वारा नोट शीट की पृष्ट पर अंकित किया किया की मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री जारी किये जाने में राजहित प्रभावित नहीं होता है।

हमारे द्वारा वाद पात्र में अंकित तथ्यों, जवाब दावा व प्रस्तुत राजीनामें का अवलोकन करने पर वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

अतः वादनी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कुराड पटवार हल्का कुराड तहसील कनवास के खसरा नबंर 1741 की 0.04 है0, , खसरा नबंर 1742 की 1.81 है0, तथा खसरा नबंर 1733 की 0.95 है0, में से पूर्वी तरफ की 0.017 है0, आराजियात राजस्व रिकार्ड में वादनी के हिस्से में पृथक से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं व इसी प्रकार खसरा नबंर 1733 की 0.95 है0, में से 0.933 है0, आराजी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नबंर 01 के खाते पृथक से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2021 को खुले [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.04.01 15:51:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा
राजेश डागा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

कार्यालय उप जिला कलेक्टर ... कोटा

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

न्यायालय बइजलास राजेश डागा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

नं. 57/19 2019/00628

श्रीमती सुलोचना जैन पत्नी रतन जैन उम्र 65 वर्ष जाति जैन निवासी मकान नबंर 460 दादाबाडी विस्तार योजना कोटा।

—वादनी—

बनाम

1. इरशादअली पुत्र मुबारक अली जाति मुस्लमान निवासी महात्मा गांधी कोलोनी, गली नबंर 11 चन्द्रसेल रोड, माला फाटक, कोटा राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

— प्रतिवादी—

वाद अन्तर्गत धारा 53.54, आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं. **57/19** सन **2019** तारीख फैसला **10.02.2021 न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी वादनी एडवोकेट **श्री महेश कुमार तिवारी** मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी 01 की ओर से एडवोकेट श्री मनोज कुमार शर्मा व प्रतिवादी नबंर 02 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है अन्तिम डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम कुराड पटवार हल्का कुराड तहसील कनवास के खसरा नबंर 1741 की 0.04 है0, , खसरा नबंर 1742 की 1.81 है0, तथा खसरा नबंर 1733 की 0.95 है0, में से पूर्वी तरफ की 0.017 है0, आराजियात राजस्व रिकार्ड में वादनी के हिस्से में पृथक से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं व इसी प्रकार खसरा नबंर 1733 की 0.95 है0, में से 0.933 है0, आराजी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नबंर 01 के खाते पृथक से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **10.02.2021** माह **फरवरी** को जारी की गई।

मोहर ....

कार्यालय उप जिला कलेक्टर कनवास, जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज0)

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	---NIL---		स्टाम्प वकालतनामा	---NIL---	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			[illegible]		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.04.01 15:51:49 IST
Reason: SelfAttested

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज0)

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

64MP AI QUAD CAMERA
Shot on realme XT

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख हुक्म की ता...
10/9/2021	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादी आज दिनांक 6/1/2021 को उपस्थित होकर पत्रावली पर राजीनामा पेश किया। राजीनामा पर पक्षकारान के उनके अधिवक्तागण द्वारा पहचान कर राजीनामा तस्दीक किया जाकर दावा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली [illegible] [illegible] दिनांक 27/1/2021 को पत्रावली पुनः पेश किया जाकर [illegible] जावे। पत्रावली पर प्रस्तुत राजीनामा एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली [illegible] जाने पर पत्रावली पर निर्णय सुनाया गया। [illegible] किया जाकर [illegible] पत्रावली [illegible] जारी हो। [illegible] आज्ञप्ति पत्रावली [illegible] हो [illegible] दाखिल [illegible] जावे।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.04.01 15:51:49 IST
Reason: SelfAttested